

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला भू-अर्जन अधिकारी, जिला मुरैना म.प्र.

प्रकरण क/ 11 / 2016-17/अ-82

प्रति,

विरुद्ध — आवेदक

सम्बन्धित कृषकगण/हितबद्ध व्यक्ति
ग्राम सिधौरा तहसील जौरा जिला मुरैना

द्वारा :- तहसीलदार तहसील जौरा जिला मुरैना म.प्र.

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना पत्रक में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है) की धारा 21(1)अन्तर्गत)

सूचना-पत्र

जयें सूचित किया जाता है कि ग्राम सिधौरा तहसील जौरा में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकबा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित आसन बैराज परियोजना के लिए स्थायी रूप से अर्जन हेतु सरकार का आशय है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (2013 संख्यांक 30) की धारा 21(1) अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपसे सम्बन्धित सर्वे क्रमांक के सम्बन्ध में अपना हित, प्रतिकर के दावे तथा प्रतिकर के दावे का हक का भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है तदनुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है, जिस हेतु प्रतिकर मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान, का अधिनिर्णय प्रस्तावित है, जिसमें यदि कोई आपत्ति हो तो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात् दिनांक 05/5/18 तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/अधिवक्ता के माध्यम से उपसंजात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील जौरा जिला मुरैना में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 05/5/18 पश्चात् भूमि का कब्जा सम्बन्धित विभाग को सौंप दिया जावेगा।

स.क.	राजस्व वृत्त/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का विवरण	सर्वे क.	भूमि का अर्जित रकबा हे. में		
			सिंचित	असिंचित	कृषि भिन्न
1	2	3	4	5	6
1.	राजस्व वृत्त-04जौरा/पटवारी हल्का-65/ग्राम-सिधौरा/तहसील -जौरा/जिला-मुरैना	1/1	0.418	निरंक	निरंक
2.		1/2मि1	0.084	निरंक	निरंक

